# राजस्थान सरकार
# कार्यालय जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़

क्रमांक :–रसद / एफपीएस / विज्ञप्ति / 2025 / 4476 दिनांक :– 27/06/2025

## –: विज्ञप्ति :–

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान जयपुर के पत्रांक एफ17(1)खा.वि. / न्याय / 2025 दिनांक 24.02.2025 एवं पत्रांक एफ17(1)खा.वि. / न्याय / 2025 दिनांक 12.03.2025 द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत जिले में रिक्त उचित मूल्य दुकानों के लिए इच्छुक एवं पात्र व्यक्तियों से राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 3(1) के तहत प्राधिकार पत्र जारी किये जाने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

इस हेतु खाद्य विभाग के पत्रांक एफ.17(1)खा.वि. / विधि / 08 जयपुर, दिनांक 17.03.2016 द्वारा जारी उचित मूल्य दुकानों के आवंटन के दिशा निर्देशों के तहत सशुल्क (100 / – रूपये) आवेदन पत्र जिला रसद कार्यालय, हनुमानगढ़ से कार्यालय समय में प्राप्त किये जा सकते है। आवेदन पत्र **दिनांक 27.06.2025 से 07.07.2025 तक दोपहर 02.00 बजे** तक प्राप्त किये जा सकते **है। आवेदन पत्र दिनांक 11.07.2025 तक सांय 04.00 बजे तक निर्धारित प्रपत्र** में आवश्यक दस्तावेजों सहित कार्यालय जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ में जमा करवाये जा सकेंगे। रिक्त उचित मूल्य की दुकानों का विवरण निम्नानुसार है :–

| क्र0 स0 | तहसील | ग्राम / ग्राम पंचायत का नाम | विज्ञापित उचित मूल्य दुकानों की संख्या | आरक्षण की श्रेणी |
|---|---|---|---|---|
| 1 | भादरा | डाबड़ी | 1 | सामान्य |
| 2 | | जोगीवाला | 1 | सामान्य |
| 3 | | डूंगराना | 1 | महिला |
| 4 | | मलखेड़ा | 1 | सामान्य |
| 5 | | सुरतपुरा | 1 | महिला |
| 6 | पीलीबंगा | 6 बीएचएम | 1 | सामान्य |
| 7 | | 51000 आरडी, ग्रा.प. जाखड़ावाली | 1 | सामान्य |
| 8 | | सरामसर 1 बीआरपी, ग्रा.प. 11 एसटीबी | 1 | महिला |
| 9 | रावतसर | 2 केबीएम ग्रा.प. भाखरावाली 10 केडब्लूडी | 1 | सामान्य |
| 10 | | 2 एनजीएम (चक बांवरियों वाला), ग्रा.पं. 99 आरडी | 1 | सामान्य |
| 11 | नोहर | धानसिया, ग्रा.पं. धानसिया | 1 | सामान्य |
| 12 | | ग्राम थिराना, ग्रा.पं. नीमला | 1 | सामान्य |
| 13 | | ग्राम सवरूपदेसर, ग्रा. पं. मालासर | 1 | महिला |
| 14 | | ग्राम ललाना बास श्योपुरा, ग्रा.पं. ललाना बास उतराधा | 1 | सामान्य |
| 15 | | ग्राम हमीरदेसर, ग्रा. पं. झेदासर | 1 | महिला |

उपरोक्त रिक्तियों के संबंध मे विभागीय पत्रांक एफ.17(1)खा.वि / विधि / 08 जयपुर दिनांक 17.03.2016 और समय–समय पर जारी संशोधन आदेश दिनांक 06.04.2016, 26.04.2016, 22.07.2016,

04.07.2017, 26.09.2017, 28.09.2018, 29.07.2019, 14.11.2019, 26.12.2019, 25.11.2020 और पत्रांक एफ17(4)खा.वी./न्याय/2025 राजकाज रेफरेन्स संख्या 15223120 दिनांक 10.05.2025 द्वारा उचित मूल्य दुकानों के आवंटन के सम्बन्ध में जारी दिशा निर्देशों में वर्णित चयन प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही की जावेगी। पत्र क्रमांक दिनांक 17.03.2016 और समय–समय पर जारी संशोधन आदेश के संबंध में विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाईट https://food.raj.nic.in व जिला रसद कार्यालय, हनुमानगढ़ मे अवलोकन हेतु उपलब्ध है।

जिला रसद अधिकारी
हनुमानगढ़

क्रमांक :–सम/4477-90

दिनांकः– 27/06/2025

प्रतिलिपि निम्नाकिंत को सूचनार्थ एवं पालनार्थ :–

1. श्रीमान् शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. श्रीमान् अतिरिक्त खाद्य आयुक्त खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. श्रीमान सम्भागीय आयुक्त, बीकानेर।
4. श्रीमान् उपायुक्त एवं उपशासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. ए.सी.पी./प्रोग्रामर खाद्य विभाग, जयपुर उक्त विज्ञप्ति को विभागीय वेबसाईट food.raj.nic.in पर अपलोड करवाने बाबत्।
6. माननीय सांसद महोदय जिला गंगानगर/बीकानेर।
7. माननीय विधायक महोदय, विधानसभा क्षेत्र, भादरा/पीलीबंगा/नोहर।
8. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, हनुमानगढ़।
9. ए0सी0पी0, हनुमानगढ़।
10. उपखण्ड अधिकारी, भादरा/पीलीबंगा/नोहर।
11. विकास अधिकारी, भादरा/पीलीबंगा/नोहर।
12. उप रजिस्ट, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, हनुमानगढ को जिले की वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
13. सहकारी समितियां, हनुमानगढ़।
14. उप निदेशक महिला अधिकारिता विभाग, हनुमानगढ।

जिला रसद अधिकारी
हनुमानगढ़

<u>आवेदक की योग्यताएं एवं शर्ते</u>

आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में होगा, जिस पर आवेदनकर्ता का छाया चित्र लगा होगा तथा एक छाया चित्र अलग से आवेदन के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र केवल संबधित जिला रसद कार्यालय से जारी किये जायेगें। अन्य किसी स्थान यथा टाईपिस्ट, नोटेरी बुक स्टोर से प्राप्त किये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेगें। एक **आवेदन पत्र का मूल्य 100/– रूपये** निर्धारित है। जिला रसद कार्यालय से आवेदन पत्र निर्धारित शुल्क का **डीडी अथवा भारतीय पोस्टल आर्डर** जमा कराया जाकर प्राप्त किये जा सकेंगें।

1. शहरी क्षेत्र की उचित मूल्य दुकान हेतु आवेदक के मामले में आवेदक उसी वार्ड का निवासी होना चाहिए, जिस वार्ड के उपभोक्ताओं का राशन सामग्री वितरण करनी है अर्थात् उस उचित मूल्य दुकान की अधिकारिता क्षेत्र में स्थित वार्डो में से किसी एक वार्ड का निवासी होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र की उचित मूल्य दुकान के मामलों में आवेदक उसी पंचायत के किसी भी ग्राम या वार्ड का निवासी होना आवश्यक है, जिस पंचायत में उचित मूल्य दुकान स्थित है। (उचित मूल्य दुकान के क्षेत्र में निवासी होने के संबंध में प्रमाण पत्र स्वरूप राशनकार्ड/ वोटरलिस्ट/ मूल निवास/ निर्वाचन आयोग का परिचय पत्र/ आधार कार्ड/ जन आधार कार्ड में से कोई दो दस्तावेज प्रस्तुत किया जा सकेगा)
2. सभी श्रेणी के आवेदकों की आयु 21 से 45 वर्ष तक होनी चाहिए अर्थात **आवेदक की आयु आवेदन पत्र जमा कराने की अन्तिम तिथि तक 21 वर्ष से कम एवं उम्र 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।**
3. शैक्षणिक योग्यता सामान्य पत्र से स्नातक उत्तीर्ण एवं कम्प्यूटर में न्यूनतम जानकारी राजस्थान नॉलेज कापोरेशन लिमिटेड (आर.के.सी.एल) या अन्य समकक्ष संस्थान का तीन माह का आधारभूत प्रशिक्षण होना चाहिये। यदि आवेदक कम्प्यूटर में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हो तो आवेदन के साथ आवेदक यह शपथ पत्र देगा कि वह चयनित होने के 06 माह की अवधि में प्रशिक्षण प्राप्त कर लेगा व ऐसे चयनित व्यक्तियों को प्रशिक्षण के बाद प्राधिकार पत्र दिया जावेगा। आवेदक समितियां/समूह निकाय होने पर सम्बन्धित अध्यक्ष/सचिव/ प्रंबधक को कम्प्यूटर दक्षता एवं शैक्षणिक योग्यताओं को पूर्ण करना अनिवार्य होगा। इस बाबत प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
4. **आवेदक को आवेदन पत्र में अंकित घोषणाओं के सम्बन्ध में 50/– रूपये के स्टाम्प पर नोटेरी से सत्यापित शपथ पत्र देना होगा।**
5. आवेदक स्वयं अथवा आवेदन की पत्नी/पति निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहीं होना चाहिए।
6. उचित मूल्य दुकान हेतु आवेदन करने वाले पुरूष/महिला के दिनांक 01.01.2015 के बाद पैदा हुई संतान सहित दो से अधिक संतान नहीं होनी चाहिये। दिनांक 01.01.2015 के पश्चात दो से अधिक संतान होने की स्थिति में व्यक्ति आवेदन का पात्र नहीं होगा।
7. प्रस्तावित दुकान का नक्शा साईट प्लान तथा रूट प्लान के साथ सहीं माप में दर्शा कर तीन प्रति में स्वप्रमाणित करके प्रस्तुत किया जावेगा। नक्शें में प्रस्तावित दुकान के आगे पीछे व दायें बाये स्थित भवनों/स्थानों/भूमि/सड़क का स्पष्ट विवरण दिशा ज्ञान के साथ अंकित किया जाना है। प्रस्तावित दुकान किराये की होने पर अनुबंध की प्रति/स्वयं की होने पर पट्टे की प्रति स्वप्रमाणित कर संलग्न की जावे। दुकान केन्द्रीय स्थल पर सिति हो, ताकि उपभोक्ता आसानी से पहुंच सकें। प्रस्तावित दुकान सुरक्षा एवं यातायात के साधन के दृष्टिकोण से उचित स्थान पर होनी चाहिए। आवेदक को प्रस्तावित दुकान के संबंध में अन्नपूर्णा भण्डार हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करने होगें जिस हेतु प्रस्तावित दुकान 30 फिट सड़क पर स्थित होकर न्यूनतम 200 वर्गफीट की होना तथा दुकान का द्वार/शटर न्यूनतम 10 फिट गुणा 10 फिट का होना आवश्यक है।
8. **संबंधित तहसीलदार द्वारा आवेदक के संबंध में जारी न्यूनतम 1,00,000/– रूपये का मूल हैसियत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावेगा। (हैसियत का प्रमाण पत्र छः माह से अधिक पुराना होने पर मान्य नहीं होगा)**
9. उचित मूल्य दुकान प्राधिकार पत्रधारी जिनके विरूद्व गंभीर अनियमितताएं पाये जाने पर गत 10 वर्षो में प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया हो, तो ऐसे आवेदको को उचित मूल्य दुकान आवंटित नहीं की जावेगी।
10. चयन के प्राथमिकता क्रम –

    **प्रथम वरीयता** (i) ग्राम सेवा सहकारी समिति/लैम्पस (वृहतर क्षेत्रीय बहुदद्देशीय सहकारी समिति)/दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति, जो कि सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत है, (ii) महिला स्वयं सहायता समूह, जो, राज्य सरकार केमहिलाएवं बाल विकास विभाग से चयनित अथवा मान्यता प्राप्त है तथा न्यूनतम 3 वर्ष कार्य का अनुभव हो, (iii) निगमित निकास।

    - यदि आवेदक महिला स्वयं सहायता समूह हो तो, आवेदन पत्र के साथ संस्था का विधान पत्र तथा आवेदक के नाम आवेदन करने हेतु जारी प्रस्ताव पत्र की प्रति सलंग्न करनी होगी। उप निदेशक/ सहायक निदेशक,महिला बाल विकास से चयनित अथवा मान्यता प्राप्त होने का प्रमाण पत्र मय तीन संपरीक्षा (ऑडिट रिपोर्ट) में गम्भीर अनियमितता नहीं होने का प्रमाण पत्र तथा समूह की वित्तीय हैसियत के संबंध में उनकी ंश पूंजी विवरण, कार्यशी पूंजी विवरण तथा वार्षिक कुल राशि का विवरण एवं विगम दो वित्तीय वर्ष व चालू वर्ष के बैंक खाते का स्टेटमेंट की प्रति मय उप निदेशक/सहायक निदेश की अभिशंषा संलग्न करनी होगी।
    - यदि आवेदक सहकारी समितियां है जो कि सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हो तो, आवेदन पत्र के साथ संस्था का विधान पत्र तथा आवेदक के नाम आवेदन करने हेतु जारी प्रस्ताव पत्र की प्रति सलंग्न करनी

होगी। सहायक पंजीयक/उप पंजीयक से मान्यता प्राप्त होने का प्रमाण पत्र तीन संपरीक्षा (ऑडिट रिपोर्ट) में गम्भीर अनियमितता नहीं होने का पमाण पत्र तथा समूह की वित्तीय हैसियत के संबंध में उनकी अंश पूंजी विवरण, कार्यशील पंजी विवरण तथा वार्षिक कुल राशि का विवरण एवं विगत दो वित्तीय वर्ष व चालू वर्ष के बैक खाते का स्टेटमैंट की प्रति मय सहायक पंजीयक/उपपंजीयक की अभिशंषा संलग्न करनी होगी।

**द्वितीय वरीयता** व्यक्तिगत (प्रथम वरीयता में आवेदन उपलब्ध नहीं होने पर) (1) निःशक्त जन (2) महिलाये (i) शहीद की विधवा, (वीरांगना) (ii) विधवा, (iii) परित्यकता (3) भूतपूर्व सैनिक, (4) बेरोजगार।

- निःशक्त जन को स्वास्थ्य विभाग का प्रमाण पत्र या समाज कल्याण विभाग का प्रमाण पत्र, वीरांगना को सेना द्वारा जारी प्रमाण पत्र, विधवा व परित्यक्ता को सम्बन्धित विभाग का प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक को सेना से डिस्चार्ज होने का प्रमाण पत्र तथा बेरोजगार को एम्प्लोयमेंट एक्स्चैंज का पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति सलंग्न करनी होगी।

  आवेदको को प्राथमिकता से आवंटित की जावेगी। आवेदक का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

11. द्वितीय वरीयता के अन्तर्गत चयनित उचित मूल्य दुकानदार की कार्य करने की अधिकतम सीमा 60 वर्ष की आयु तक होगी।
12. सभी आवेदको को दो राजपत्रित अधिकारियों के चरित्र प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करने है।